//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म0प्र0//

::परिपत्र::

क्रमांक 16 /2020 दिनांक 23.05.2020

विश्वव्यापी कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार/प्रदेश सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुक्रम में इस स्थापना पर भी यथासमय आवश्यक निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिकारीगण से अपेक्षा एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि कार्य स्थल पर उपस्थित होने के उपरांत वह पारस्परिक रूप से कम से कम 2 गज की दूरी बनाये रखे। कर्तव्य पर उपस्थित रहने के दौरान सम्पूर्ण समय मास्क धारण करना अनिवार्य होकर परिसर में किसी भी स्थान पर थूंकना प्रतिबंधित किया जाता है, थूंकते हुए पाये जाने की दशा में संबंधित के उक्त कृत्य को गंभीरता से लिया जाकर यथोचित कार्यवाही की जावेगी। नितांत आवश्यक होने पर एक दूसरे से दूरी बनाते हुये ही भौतिक रूप से सम्पर्क स्थापित करें। समस्त कर्मचारीगण न्यायालयीन कक्षों के बाहर बरामदे में एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की वार्तालाप इत्यादि न करें। कुछ–कुछ समय के अंतराल में हाथों को सेनेटाईज अथवा साबुन से धोते रहे। यदि किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण प्रकट हो रहे है, तब ऐसी दशा में तत्काल कार्यालय को अवगत कराया जावे। समस्त पीठासीन अधिकारीगण भी उनके न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण में से किसी को उपरोक्त वर्णित लक्षण पाये जाने की दशा में तत्काल अवगत करावे। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोविड–19 के संक्रमण संबंधी लक्षणों को छिपाये जाने पर उनके विरूद्व यथोचित कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। जिस हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त दिशा निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

23.05.2020

एम.के.शर्मा
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ म0प्र0

पृष्ठांकन क्र. 366 /2020 दिनांक 23.05.2020

प्रतिलिपिः–

नोटः– ज्ञापन की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जा रही है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी यदि चाहे तो उक्त पत्र जिला न्यायालय झाबुआ के वेबसाईड से डाउनलोड कर सकते है। अतंएवं प्रभारी अधिकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग झाबुआ उक्त समस्त संबंधित न्यायिक अधिकारियो के ई–मेल एड्रेस पर ई–मेल/झाबुआ जिला न्यायालय की वेबसाईड में तैयार की गई लिंक–कार्यालयीन पत्र पर अपलोड करने हेतु सिस्टम अधिकारी को निर्देशित कर ई–मेल/अपलोड कराया जाकर मूल प्रति को ई–मेल रिपोर्ट (Screen shot) सहित कार्यालय में लौटाया जाना सुनिश्चित करावे।

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ।
3. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना झाबुआ, तहसील स्थापना थांदला/पेटलावद
4. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ।
5. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग/प्रतिलिपि/ अभिलेखागार/ मालखाना झाबुआ
6. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित तथा मुख्यालय में पदस्थ समस्त संबंधित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत/परिचालित कराये जाने हेतु प्रेषित।

23.05.2020

एम.के.शर्मा
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ म0प्र0